

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 52/2020

पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

- 1 ओम पिता सोनारायण जाट उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 रामेश्वर पिता सोनारायण जाट उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. \_\_\_\_\_ (प्रार्थीगण)  
बनाम
- 1 रामधन पिता रामकरण चाडा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 खाना पिता रामकरण चाडा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 3 कालू पिता गोपी भील उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 4 महावीर पिता देबी जाट उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 5 जगदीश पिता रूगनाथ जाट उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. \_\_\_\_\_ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 9-4-2021

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 20.07.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 155 के आ.न. 371, 398, 560/402, 564/55, 566/61, 569/396, 62 किता 7 रकबा 1.06 हैक्टेयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 155 के आ.न. 371, 398, 560/402, 564/55, 566/61, 569/396, 62 किता 7 रकबा 1.06 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फुलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर न्यायालय में कम हो। यह आदेश आज दिनांक 9-4-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा